

मध्य प्रदेश शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग,
मंत्रालय, भोपाल
--00--

--:: आदेश ::--

भोपाल, दिनांक 01 मई, 2026

क्रमांक एफ 1-25/2007/52-1/504 राज्य शासन, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम 1978 (क्रमांक -16 सन् 1978) की धारा - 5 की उपधारा (1) (क-1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये श्री राकेश जादौन को दो वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त करता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अरूण कुमार सिंह)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
भोपाल, दिनांक 01 मई, 2026

पृ. क्रमांक एफ 1-25/2007/52-1/504

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) म.प्र. ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.मंत्रालय ।
3. निज सचिव, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ।
4. उपसचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन/वित्त विभाग, मंत्रालय,
6. आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प, म.प्र. भोपाल
7. आयुक्त, रेशम संचालनालय, भोपाल ।
8. प्रबन्ध संचालक, म.प्र.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.माटीकला बोर्ड, भोपाल ।
10. उपसंचालक, जनसम्पर्क, मंत्रालय, भोपाल ।
11. श्री राकेश जादौन की ओर सूचनार्थ ।
12. आर्डर बुक ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग